न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

(1) **प्रकरण संख्या: 07/2017**

(2) **दायरा दिनांक: 05.9.2017**

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

मनोहर सिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति- राजूपत, निवासी- मोहब्बतनगर, पुलिस थाना कालन्द्री, जिला-सिरोही

''इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975''

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल स्वयं एवं अधिवक्ता श्री राजेश कुमार, गैरसायल की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 19 फरवरी. 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल मनोहरसिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोहब्बतनगर के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खिलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसासयल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नही होते है। गैरसायल जुआं खेलते हुए पकडा जाने से गैरसालय के विरुद्ध पुलिस थाना कालन्द्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 प्रकरण दर्ज हुये है तथा इन दोनों प्रकरणों में गैरसालय के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने / सजा से दण्डित किया है, फिर भी गैरसायल जुआं खेलना व आम लोगों को जुआं खेलने के लिए प्रेरित करने से बाज नही आ रहा है इसके कार्यकलापों की वहज से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध थाना कालन्द्री में वर्ष 2005 से अब तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया व उक्त प्रकरणों में गैरसायल को जुर्माना/सजा से दण्ड़ित किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में प्रकरण संख्या 80/05, 84/12, 04/15, 40/15, 63/15 दर्ज होकर सजा होने पर गैरसायल के विरुद्ध अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत इस्तगासा जरिये क्रमांक 1445 दिनांक 12.8.2015 से प्रेषित किया जाने पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.1.2016 के उक्त गैरसायल को 30 दिन की अवधि के लिये जिला बदर किया गया था। मगर उक्त गैरसायल द्वारा निरन्तर अपराध किया जाने से निष्कासन के पश्चात् गैरसालय के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 के अर्न्तगत अपराध

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

संख्या 106/29.8.2016 व अपराध संख्या 51/18.5.2017 को दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा संबंधित न्यायालय द्वारा अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 में पारित निर्णय दिनांक क्रमश: 09.9.2016 व 25.5.2017 के द्वारा गैरसायल को जुर्माने से दण्ड़ित किया गया है। गैरसायल जुआं खेलने में संलिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक प्रवृति म लिप्त है जो आदतन जुंआ खेलने व आम लोगों जुआ खेलने के लिये प्रेरित करने से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है, निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पड़ता है व पुलिस छवि पर भी लोगों का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(बी)(5) में वर्णित अपराध करने का आदि है और मौजूदा समय में ऐसे अपराध करने में लिप्त है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर कम से कम 6 माह की अवधि के लिये जिला सिरोही की हदूद से निष्कासित किया जावे

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26.9.2017 को गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी व श्री राजेश कुमार ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी तथा गैरसायल की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनवीक्षा चाहते हुए बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 16.2.2018 को गैरसायल व गैरसायल के अधिवक्ता ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर गैरसायल की ओर से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निरस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना कालन्द्री में अब तक कुल 7 प्रकरण दर्ज हुये, इन सभी प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्ड़ित किया गया है। गैरसायल को गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज अपराध संख्या 80/2005, 84/.2012, 4/2015, 40/2015 व 63/2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराये जाने पर इस न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस्तगासा पेश किया गया था जिनमें बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.1.2016 के द्वारा गैरसायल को 30 दिन की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया गया था। उसके बाद भी गैरसायल का जुआं खेलने व जुआं खेलाने से संबंधित अपराधों में लिप्त होना पाया गया। गैरसायल के निष्कासन के बाद भी गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 को दर्ज हुये जिनमें संबंधित न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को इन दोनों प्रकरणों में भी दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्ड़ित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुऐं में गवा चुके है। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को जिला सिरोही से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि गैरसायल ने उक्त सभी सातों प्रकरणों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवनयापन कर रहा है, गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने या झगडा करने से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल से आमजन में भय व्याप्त नही है, इसलिये मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल मनोहर सिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोहब्बतनगर के विरुद्ध पुलिस थाना, कालन्द्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 80/2005, 84/2012, 04/2015, 40/2015, 63/2015 दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को सिद्ध दोष ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि गैरसायल को उक्त पांचों प्रकरणों में संबंधित न्यायलय द्वारा दोष सिद्ध ठहराये जाने से गैरसायल के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस न्यायलय में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया। जिस पर इस न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा गुण्ड़ा एक्ट प्रकरण संख्या 04/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05 जनवरी, 2016 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार किया जाकर गैरसायल मनोहर सिंह पुत्र श्री भूर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोहब्बतनगर को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा- 3 के परिप्रेक्ष्य में एक माह अर्थात् 30 दिन की अवधि के लिये जिला सिरोही से निष्कासित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में 30 दिन के लिये निष्कासित किये जाने के बाद भी गैरसायल निरन्तर जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है तथा गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कालन्द्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 को दर्ज हुये है जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये तथा संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को सिद्ध दोष ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कालन्द्री में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 को दर्ज हुये जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 में गैरसायल के विरुद्ध बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अवलोकन से यह भी उक्त अपराध संख्या 106/29.8.2016 व 51/18.5.2017 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमश: 09.9.2016 व 25.5.2017 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अत: उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल मनोहर सिंह पुत्र श्री भूरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मोहब्बतनगर, पुलिस थाना-कालन्द्री, जिला-सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में तीन माह अर्थात् 90 दिन की अवधि के लिये जिला सिरोही से निष्कासित किया जाता है। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में पुलिस थाना, सुमेरपुर, जिला- पाली में दिनांक 15.3.2018, 15.4.2018 व 15.5.2018 को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के जिला सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत रुपये दस हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, कालन्द्री/सुमेरपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही